को पेश हो। बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है।

21-5-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-5-19 को पेश हो। रीडर
30-5-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-6-19 को पेश हो। रीडर
3-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-6-19 को पेश हो। रीडर
7-6-19	वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु पत्रावली दि० 10-6-19 को पेश हो।
10-6-19	वकील उभयपक्ष उप०। बहस फाइनल सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 17-6-19 को पेश हो।
17-6-19	वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उनकी खातेदारी की भूमि जो प्रा०पत्र में वर्णित है की पत्थरगढ़ी मौके पर जाकर कराने हेतु तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर

177/

1. गु
2. धन

1. रत
2. विघ
3. राम
4. श्री
5. सही
6. राम
7. हरि
8. जग
9. चिरं
10.राम
11.राम
12.विश
13.विश्र
14.गंगा
15.राज
16.लैण्ड

उपस्थित

प्र

का प्रस्

2755 र

रकबा 0

0.22 है

लाभान्वि

0.10 है0

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार ...

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
177 / 2017	14.6.2017	17.6.2019

1. गुड्डी देवी पत्नी मुन्नीलाल, मीना निवासी मीनाबडौदा तहसील वजीरपुर
2. धनपती देवी पत्नी रामसिंह, मीना निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पुत्र मांग्या, मीना निवासी बडौली तह0 वजीरपुर (मृतक– नाम हजफ)
2. विधा बाई पत्नी रतन, मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर
3. रामप्रकाश पुत्र रतन, मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर
4. श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वजीरपुर तहसील वजीरपुर (नाम हजफ)
5. सहीराम पुत्र ठण्डीराम, मीना निवासी वजीरपुर (नाम हजफ)
6. रामखिलाडी पुत्र ऊंकार, धोबी निवासी वजीरपुर (नाम हजफ)
7. हरिराम पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी वजीरपुर (नाम हजफ)
8. जगराम पुत्र पांच्या, कोली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
9. चिरंजी पुत्र पांच्या, कोली नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर (नाम हजफ)
10. रामकेश पुत्र पांच्या, कोली नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर (नाम हजफ)
11. रामरूप पुत्र पांच्या, कोली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
12. विशनी पत्नी पांच्या, कोली नि0 वजीरपुर तह0वजीरपुर (मृतक–नाम हजफ)
13. विश्राम पुत्र मांग्या, मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर
14. गंगासहाय पुत्र मिश्रया, मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर
15. राजपाल पुत्र मिश्रया, मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट
बाबत भूमि की पत्थरगढी करवाने

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री प्रेम प्रकाश जोशी, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 2, 3 की ओर से
श्री गोपाललाल शर्मा,एडवोकेट,अप्रार्थी नं0 8, 11, 13 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 2705 रकबा 0.10 है0, 2755 रकबा 0.40 है0, 2758 रकबा 0.03 है0, 2759 रकबा 0.09 है0, 2760 रकबा 0.04 है0, 2761 रकबा 0.11 है0, 2762 रकबा 0.21 है0, 2763 रकबा 0.22 है0 ग्राम वजीरपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर लाभान्वित होते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 2705 रकबा 0.10 है0 के पूर्व दिशा की ओर से भूमि ख0नं0 2704 से लगी हुई है जो

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी में है। पश्चिम व दक्षिण दिशा में ख0नं0 2708 व 2711 से लगती हुई है जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी में है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में ख0नं0 2706 से लगती हुई है जो अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 2755 रकबा 0.40 है0 की पूर्व दिशा में ख0नं0 2756 व 2757 से लगी हुई है जो अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी में है तथा पश्चिम की ओर ख0नं0 2750 व 2752 से लगती हुई है जो अप्रार्थी संख्या 6 है। उत्तर दिशा की ओर ख0 नं0 2740 से लगी हुई अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में ख0नं0 2754 से लगी हुई है जो अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763 जो एक साथ है की सीमाऐं पूर्व दिशा की ओर ख0नं0 2739, 2738, 2737, 2736 से लगी हुई है जो अप्रार्थी संख्या 13, 14, 15 एवं 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज है। पश्चिम दिशा में ख0नं0 2757, 2764, 2765, 2766 से लगी हुई है जो अप्रार्थी संख्या 5, 1, 16 की खातेदारी में दर्ज है। उत्तर दिशा में ख0नं0 2766, 2711 से लगी हुई हो अप्रार्थी 16, 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में ख0 नं0 2740 व 2757 से लगी हुई है जो अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 व 5 की *खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के पडौस में ही* प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से लगती हुई अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद हो जाता है इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु कहा लेकिन वे प्रार्थीगण की बातों को टालते रहे। जब भी खेतों की जुताई बुबाई का समय आता है, पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद सीमा को लेकर हो जाता है।इसलिए प्रार्थीगण ने तहसीलदारजी के समक्ष सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 1.6.2017 को पटवारी हलका द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया । पटवारी हलका द्वारा दिनांक 1.6.17 को बताए सीमा चिन्हों के अनुसार प्रार्थीगण ने पत्थरगढी करने हेतु जब भूमि पर दिनांक 8.6.17 को नींव खोदने के लिए मजदूर बुलाए तो अप्रार्थीगण ने पत्थरगढी नहीं करने दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी ख0नं0 2705 रकबा 0.10 है0, 2755 रकबा 0.40 है0, 2758 रकबा 0.03 है0, 2759 रकबा 0.09 है0, 2760 रकबा 0.04 है0, 2761 रकबा 0.11 है0, 2762 रकबा 0.21 है0, 2763 रकबा 0.22 है0 ग्राम वजीरपुर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)
सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करें साथ ही तहसीलदार वजीरपुर को मौके पर जाकर भूमि की पत्थरगढी करवाने के आदेश दिए जावें तथा अप्रार्थीगण को पत्थरगढी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के आदेश से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी नं0 2 व 3 ने अपने जबाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि अप्रार्थी नं0 1 दिनांक 23.1.2016 से मृतक है, उसके परिवार में उसके वारिस मौजूद हैं उसके बाद भी मृतक रतन लाल का नाम अंकित किया है जो विधि विरूद्ध है। जबाबदार सं0 3 ने दिनांक 14.6.17 को एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 190 सीआर0पी0सी0 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग गंगापुर सिटी के समक्ष तहत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी उनवानी रामप्रकाश बनाम भजन वगैरा प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में एक दावा सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग गंगापुर सिटी के समक्ष उनवानी रामप्रकाश बनाम भजन वगैरा बाबत् घोषणां खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.6.18 को प्रस्तुत किया है एवं एक दावा विद्या बाई बनाम सन्तरा वगैरा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड नक्शा जमाबंदी नामान्तरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 20.8.18 नियत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत किया जाना विधि विरूद्ध है। जबाबदारान की खातेदारी एवं पैत्रक भूमि साबिक ख0नं0 262/1 रकबा 19 बीघा 15 विस्वा, साबिक ख0नं0 268/1 रकबा 5 बीघा 14 विस्वा में से खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का नक्शा व रिकार्ड वर्तमान साबिक के मुकाबले कम है इस सन्दर्भ में सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां भी दावा विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जबाबदारान की सहमति के बिना पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि विरूद्ध है जबकि ख0नं0 2705 व 2763 जबाबदारान के साबिक नक्शे के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ताओं की खाते की भूमि नहीं है ना ही उक्त खसरा नम्बरान पर पूर्व खातेदारी एवं वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता केवल खातेदारी के हिसाब से जबाबदारान को बेदखल करना चाहते हैं। ख0नं0 2705 रकबा 0.10 है0 की भूमि क्षेत्रफल तुलनात्मक में भजन पुत्र श्योचंद की भूमि के कुल ख0नं0 7 रकबा 1.10 है0 है जबकि वर्तमान जमाबंदी में किता 8 रकबा 1.20 है0 है जो जबाबदारान के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

साबिक ख0नं0 262/1 के रकबे से बनाया गया स्पष्ट है। ख0नं0 2705 की भूमि ख0नं0 2708, 2704/2 व 2704 के साथ संयुक्त जोत मौके पर मौजूद है एवं ख0नं0 2763 की भूमि ख0नं0 2764, 2736, 2737 के साथ संयुक्त जोत निर्माण एवं कब्जा काश्त जबाबदारान के पक्ष में मौके पर मौजूद है। ये सभी नम्बर साबिक ख0नं0 262/1 व 268/1 की भूमि साथ है। ख0नं0 2705 व 2763 पर पूर्व खातेदार भजन पुत्र श्योचंद व वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं का विगत 35 वर्षो से आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। ख0नं0 2763 में मोक्ष धाम, छतरी, शिवालय, तलाई आदि का निर्माण दासाबन्दी जबाबदारान द्वारा कराया जा चुका है। इस प्रकार पोषणीयता के आधार पर ही प्रार्थना पत्र विधि अनुसार खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता प्रार्थीगण, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता रतन मीना, खाता विद्या बाई, रामप्रकाश, लक्ष्मीनारायण जी महाराज, हरीसिंह मीना, सहीराम मीना, रामखिलाडी धोबी, जगराम वगैरा, विश्राम मीना, राजपाल वगैरा, गंगासहाय वगैरा, सिवायचक लगानी, नकल फर्द मौका दिनांक 1.6.17, फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 11.12.18 न्यायालय ग्राम न्यायालय गंगापुरसिटी उनवानी टी0आई0 प्रार्थना पत्र रामप्रकाश वगैरा बनाम राजपाल वगैरा प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन ने अप्रार्थीगण की ओर से छायाप्रति नकल वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी उनवानी रामप्रकाश वगैरा बनाम भजन वगैरा, छायाप्रति नकल निर्णय दिनांक 2.4.2013 उनवानी मुकदमा विद्यादेवी बनाम सन्तरादेवी वगैरा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर, छायाप्रति नकल फर्द मौका दिनांक 21.6.16, 1.6.17, छायाप्रति नकल साबिक नक्शा ट्रेस साबिक ख0नं0 262/1, हाल नक्शा ट्रेस, छायाप्रति नकल जमाबंदी सं0 2048 से 2051, छायाप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, छायाप्रति एफ0आई0आर0 नं0 129/17, छायाप्रति अप्रमाणित प्रति दावा रामप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि के चारो ओर अप्रार्थीगण की भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि की काश्त में प्रार्थीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

को बाधा उत्पन्न करते रहते हैं इसलिए प्रार्थीगण ने भूमि का तहसीलदार वजीरपुर के यहां से सीमाज्ञान दिनांक 1.6.17 को करवाया परन्तु उसके बाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण को नहीं करने दी। इसलिए प्रार्थीगण ने यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है न पूर्व में रहा है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दावा चल रहा है एवं राजस्व न्यायालय में भी कार्यवाही विचाराधीन है जिनके चलते हुए प्रार्थीगण को भूमि की पत्थरगढी का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

रिवटल में प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने कहा कि सिविल न्यायालय में अप्रार्थीगण के दावे में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.12.18 को रू0 5000/– के खर्चे पर खारिज किया जा चुका है तथा किसी भी अन्य न्यायालय से अप्रार्थीगण का कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि पर आज तक तय नहीं हुआ है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है जिसका सीमाज्ञान विधिवत रूप से प्रार्थीगण ने करवा लिया है इसलिए अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसका अप्रार्थीगण यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा ही नहीं है तथा राजस्व व सिविल न्यायालय में इस सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। पत्रावली पर अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अवलोकन से यह विदित है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश / निर्णय उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने दिनांक 1.6.17 को उनकी खातेदारी भूमि का जो सीमाज्ञान करवाया है उस रिपोर्ट में भी यह उल्लेख नहीं है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कार्यालय–उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेश

अतः प्रार्थीगण गुड्डी देवी एवं धनपती देवी द्वारा धारा 128 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 2705 रकबा 0.10 है0, 2755 रकबा 0.40 है0, 2758 रकबा 0.03 है0, 2759 रकबा 0.09 है0, 2760 रकबा 0.04 है0, 2761 रकबा 0.11 है0, 2762 रकबा 0.21 है0, 2763 रकबा 0.22 है0 ग्राम वजीरपुर तहसील वजीरपुर के मौके पर जाकर उपर्युक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराने का तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी